दिनांक 19/01/2024 को दून पुलिस ने किया जमीनी धोखाधड़ी में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को जमीन धोखाधड़ी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश के अनुपालन मे थाना रायवाला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जमीनी धोखाधड़ी में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 12.09.2023 को वादनी श्रीमती नेहा गुसाई पत्नी सन्दीप गुंसाई नि0 गली न0 07 सुमन विहार बापूग्राम ऋषिकेश कि लिखित तहरीर दी जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि मीना कुमेर सिंह रावत, सतेन्द्र पोखरियाल तथा शिव दयाल रतूडी द्वारा उन्हें छिद्दरवाला, रायवाला में स्थित एक भूमि विक्रय करने की एवज में उनसे ₹ 12,00,000/- की धनराशि प्राप्त करते हुए उनके पक्ष में उक्त भूमि की रजिस्ट्री कर उन्हें कब्जा दिया गया, जब वे उक्त भूमि में बाउंड्री वॉल का निर्माण करने गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि को अभियुक्त गणों द्वारा पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था, अभियुक्तो द्वारा उनके परिचित श्रीमति मानसी पत्नी श्री जयदीप बिष्ट निवासीगण 14, गली न० 7, सुमन विहार बापूग्राम, ऋषिकेश जिला देहरादून तथा श्रीमति राखी बिष्ट राणा पत्नी श्री अमित सिंह राणा निवासी ग्राम व पोस्ट मलेथा. तहसील कीर्तीनगर, जिला टिहरी गढ़वाल को भी इसी प्रकार फर्जी दस्तावेज बनाते हुए पूर्व में विक्रय की गई भूमि को दोबारा बेचकर उनके द्वारा दी गयी धनराशि को हड़प लिया गया। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रायवाला पर मु0अ0सं0 207/2023 धारा 420/467/468/471/427/506/120बी भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में नामजद वाछिंत अभियुक्त शिवदयाल रतूड़ी को रायवाला पुलिस द्वारा उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्यायालय मे पेश करते हुऐ जेल भेजा गया। अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः- शिवदयाल रतूडी पुत्र श्री महानन्द रतूडी निवासी चीनी गोदाम रोड गुमानीवाला श्यामपुर थाना ऋषिकेश जिला देहरादून उम्र 46 वर्ष

पुलिस टीमः-

(1). उ0नि0 कुशाल सिह रावत ,थाना रायवाला

(2). कानि0 73 मुनीष कुमार ,थाना रायवाला

(3). म0कानि0 825 गीता , थाना रायवाला